प्रेस नोट
दिनांक 28.12.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना परसपुर में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

ऑपरेशन "साइबर कवच'' अभियान के तहत राजस्व टीम व उपस्थित जनता को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

गोण्डा। आज दिनांक 28.12.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना परसपुर में जनसुनवाई की गई। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना परसपुर में जनसुनवाई के दौरान 11 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर ऑपरेशन "साइबर कवच'' अभियान के तहत राजस्व टीम व उपस्थित जनता को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। इसी क्रम में एटीएम में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे सी0सी0वी0/पिन नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी–छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में सभी से आग्रह किया गया की दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस–पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। जागरूकता के दौरान में उपस्थित आमजन को पम्पलेट वितरित किये गये।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 28.12.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में नवनिर्मित बहुउद्देशीय हाल का किया गया लोकार्पण–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना परसपुर में नवनिर्मित बहुउद्देशीय हाल का फीता काटकर लोकापर्ण किया गया। बहुद्देशीय हॉल के बनने से थाने में आने वाले आगंतुको/फरियादियों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था होगी। इस बहुउद्देशीय हाल का प्रयोग जवानों हेतु सेमिनार, बीफ्रिंग, वर्कशॉप, हेल्थ कैंप व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए किया जा सकेगा साथ ही पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु ध्यान और योगाभ्यास के लिए भी हाल का उपयोग किया जा सकेगा। इस बहुउद्देशीय हाल में लगभग 80 से 90 लोगों की बैठने की उचित व्यवस्था है।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा, प्र0नि0 परसपुर दिनेश सिंह सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.12.2024, थाना कौडिया
जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के 10 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-296/2024 धारा 190, 191(2), 193(3), 109, 352, 351(3), 115(2), 127(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद व प्रकाश में आये अभियुक्तों- 01. फिदा हुसैन उर्फ तौलक, 02. सद्दाम हुसैन, 03. साबिर उर्फ सलमान, 04. मेहंदी हसन, 05. कमरूद्दीन, 06. अब्दुल हन्नान, 07. फैयाज, 08. कलीम, 09. नान्हु उर्फ अख्तर हुसैन, 10. फहीम को दुबहा बाजार ईदगाह के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मंजेश तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासी ग्राम बीरपुर थाना कटराबाजार जिला गोण्डा द्वारा थाना कौडिया को सूचना दिया कि दिनांक 26.12.2024 को अपने साथी आर्दश सिंह के साथ दुबहा बाजार साग सब्जी लेने गये थे जहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करने के लेकर विवाद हो गया तथा विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने के नियत से लाठी-डण्डा, बांका आदि से मारने पीटने लगे। जिससे गम्भीर चोटे आयी है। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-296/2024 धारा 190, 191(2), 193(3), 109, 352, 351(3), 115(2), 127(2) बीएनएस बनाम फिदा हुसैन आदि 13 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कौडिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में आज दिनांक थाना कौडिया पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने के 10 आरोपी अभियुक्तों अभियुक्तों- 01. फिदा हुसैन उर्फ तौलक, 02. सद्दाम हुसैन, 03. साबिर उर्फ सलमान, 04. मेहंदी हसन, 05. कमरूद्दीन, 06. अब्दुल हन्नान, 07. फैयाज, 08. कलीम, 09. नान्हु उर्फ अख्तर हुसैन, 10. फहीम को दुबहा बाजार ईदगाह के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. फिदा हुसैन उर्फ तौलक पुत्र नान्हू उर्फ अख्तर हुसैन निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
02. सद्दाम हुसैन पुत्र मो0 शफी निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
03. साबिर उर्फ सलमान पुत्र मेंहदी सहन निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

04. मेहंदी हसन पुत्र शौकत निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
05. कमरूद्दीन पुत्र मुबारक निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
06. अब्दुल हन्नान पुत्र तैय्यब अली निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
07. फैयाज पुत्र मो0मुस्लिम निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
08. कलीम पुत्र मो0 मुस्लिम निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
09. नान्हु उर्फ अख्तर हुसैन पुत्र मो0 शफी निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
10. फहीम पुत्र मो0 मुस्लिम निवासी दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-296/2024 धारा 190, 191(2), 193(3), 109, 352, 351(3), 115(2), 127(2) बीएनएस थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अवनीश शुक्ला
02. उ0नि0 प्रभाकर पाण्डेय
03. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
04. हे0का0 राकेश गौतम
05. हे0का0 अनिल यादव
06. का0 लवकुश मौर्या
07. का0 संदीप सिंह
08. का0 रिषित कुमार
09. म0का0 रजविन्दर कौर

मीडिया सेल, गोण्डा।